प्रेषक,

मुख्यकार्यपालक अधिकारी
आयुष्मान भारत–पी0एम0जे0ए0वाई
स्टेट हेल्थ एजेन्सी (साचीज)
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र,
10 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई/पत्रा– /2019–20/1004 लखनऊ :दिनांक 31 जुलाई, 2020

विषयः अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 920/पांच–6–2020 दिनांक 19 जून, 2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें निजी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालयों में कोविड–19 से संक्रमित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से भिन्न रोगियों के उपचार पर निजी चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा महाविद्यालयो द्वारा व्यय की गयी धनराशि की निर्धारित दरों पर प्रतिपूर्ति के निर्देश दिये गये हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 921/71–4–2020 दिनांक 11 जुलाई, 2020 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के प्राइवेट कक्ष में कोविड–19 से ग्रसित रोगियों का विशिष्ट दरों पर इलाज की अनुमति के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त दोनों शासनादेशों के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित कोविड संक्रमित रोगियों से भिन्न अन्य कोविड संक्रमित रोगियों के इलाज के उपरान्त प्रतिपूर्ति की व्यवस्था पूर्व निर्धारित दरों पर ही अनुमन्य होगी जैसा कि शासनादेश दिनांक 19 जून, 2020 में उल्लिखित है। प्राइवेट कक्ष में उपचार हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2020 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

कृ0प0उ0

आपसे अनुरोध है कि उक्त आशय के दिशा निर्देश अपने जनपद में अधिसूचित कोविड–19 निजी मेडिकल कालेजों को जारी करने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निजी मेडिकल कालेजों द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये गये बिल में प्राइवेट कक्ष में उपचारित रोगी के बिल सम्मिलित न हों। कृपया सत्यापित बिल प्रतिपूर्ति हेतु साचीज को प्रेषित करने से पूर्व इस आशय का अंकन भी आपके स्तर से किया जाए कि उक्त बिल में प्राइवेट कक्ष में उपचारित रोगियों का बिल सम्मिलित नहीं है।

भवदीया,

संलग्नकः यथोक्त।

31/07/2020

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई/पत्रा– / / तद्दिनांक

प्रतिलिपि :समस्त जिलाधिकारी ,उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संख्या–920 / पांच–6–2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
साचीज,
(स्टेट एजेन्सी फॉर कम्प्रेहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीग्रेटेड सर्विसेज)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक 19 जून, 2020

विषय : अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कोविड–19 जैसी महामारी से संक्रमित रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु शासन के चिकित्सा अनुभाग–5, द्वारा समय–समय पर विभिन्न निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों को कोविड हास्पिटल के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा कोविड–19 के रोगियों का उपचार किया जाता है।

2. प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों में कोविड–19 से संक्रमित आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से भिन्न रोगियों के उपचार पर निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति इस हेतु आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) हेतु प्राविधानित बजट से किए जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

3. कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर होने वाले व्यय से सम्बन्धित धनराशि का बिल / बाउचर सम्बन्धित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों द्वारा सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा, जिनके द्वारा प्राप्त बिल / बाउचर का परीक्षण करने के उपरान्त भुगतान हेतु सत्यापित कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज को अग्रसारित किया जाएगा। सत्यापित बिल / बाउचर प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज द्वारा सम्बन्धित निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों को भुगतान किया जाएगा।

4. कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के नियम तथा दरों के आधार पर निम्न तालिकानुसार निजी चिकित्सा संस्थानों / महाविद्यालयों को की जाएगी:–

क0 संख्या	वार्ड स्थिति	प्रतिदिन प्रतिबेड दर
1.	जनरल वार्ड	रू. 1,800 / – (एक हजार आठ सौ रूपये मात्र)
2.	हाई डिपेन्डेन्सी यूनिट	रू. 2,700 / – (दो हजार सात सौ रूपये मात्र)
3.	आई0सी0यू0 बिना वेन्टीलेटर	रू. 3,600 / – (तीन हजार छः सौ रूपये मात्र)
4.	आई0सी0यू0 वेन्टीलेटर सहित	रू. 4,500 / – (चार हजार पांच सौ रूपये मात्र)

–2–

5. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लाभार्थियों के उपचार पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्व की भाँति की जाती रहेगी।

6. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के लिए वित्तीय वर्ष 2020–2021 में प्राविधानित आय–व्ययक के सुसंगत मद/लेखाशीर्ष के नामे डाला जाएगा। आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) के लिए इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,
19.6.20
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–920(1)/पांच–6–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री/वित्त विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
3– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4– महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
5– निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री/मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश,
6– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
7– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
8– निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
9– सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान/महाविद्यालय के निदेशक/प्राचार्य द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
10– समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
11– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
12– अपर निदेशक, (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
13– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
14– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
15– चिकित्सा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश, शासन,
16– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन,
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
19/6/2020
(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

(9) संख्या–921/71–4–2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2020

विषयः– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित कोविड–19 चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर इलाज की अस्थायी अनुमति दिए जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–317/71–4–2020, दिनांक 10.07.20 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त संदर्भ में विभिन्न स्तरों से यह पृच्छा की जा रही है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10.07.2020 के द्वारा दी गयी अस्थायी अनुमति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के प्राइवेट कक्ष में कोविड–19 संक्रमित रोगियों के इलाज पर होने वाला व्यय का वहन किन मदों से किया जाएगा। इस संदर्भ में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के प्राइवेट कक्षों में कोविड–19 संक्रमित रोगियों के इलाज पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। प्रश्नगत व्यय का वहन ऐसे रोगियों अथवा उनके परिजनों द्वारा किया जाएगा जो शासन द्वारा उक्त फैसिलिटीज में उपलब्ध कराये गये निःशुल्क जनरल वार्ड कोविड सेवाओं के स्थान पर निजी कक्ष लेने के लिए इच्छुक हैं। इलाज की दरें वही होंगी जो उक्त शासनादेश दिनांक 10.07.2020 द्वारा निर्धारित है।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्धक, समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

(1)

संख्या–917/71–4–2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 10 जुलाई, 2020

विषयः– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित कोविड–19 चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर इलाज की अस्थायी अनुमति दिए जाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एमई–1/2020/2180 दिनांक 26.06.2020 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के प्रबंधन द्वारा यह अनुरोध किया जा रहा है कि उनकी संस्था के अन्तर्गत संचालित डेडिकेटेड कोविड–19 चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर कोविड–19 संकमित रोगियों के इलाज की अनुमति प्रदान की जाए।

2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि डेडिकेटेड कोविड–19 चिकित्सालयों में कोरोना बेड्स के राज्य स्तरीय अन्तरिम लक्ष्य 10010 बेड्स के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में निर्धारित बेड्स के सापेक्ष मानक के अतिरिक्त भी सरप्लस मैनपावर एवं अन्य अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में रोगियों की अपेक्षाकृत कम संख्या के कारण चिकित्सालय के सम्पूर्ण मैनपावर/अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है जबकि चिकित्सालय के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय निरन्तर हो रहा है।

3– यह भी अवगत कराया गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा निरन्तर यह मांग की जा रही है कि उन्हें कोविड–19 संक्रमण की चिकित्सा हेतु पृथक कक्ष की सुविधा प्रदान की जाय।

4– सम्प्रति निजी क्षेत्र के मेडिंकल कालेजों में संचालित डेडिकेटेड कोविड–19 चिकित्सालयों में राज्य सरकार द्वारा रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। शासनादेश संख्या–920/पॉच–6–2020 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा निजी क्षेत्र के अधिसूचित चिकित्सा महाविद्यालयों में कोविड–19 से संकमित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के लाभार्थियों से भिन्न रोगियों के उपचार पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा व्यय की गयी धनराशि निर्धारित दरों पर प्रतिपूर्ति, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (पूर्णतः राज्य पोषित) हेतु प्राविधानित बजट से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। वर्तमान व्यवस्था में कोविड–19 से संकमित रोगियों का इलाज प्राइवेट कक्ष में नहीं किया जा रहा है।

5– अतएव संस्थाओं में उपलब्ध प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर कोरोना संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के इलाज की अनुमति दिये जाने से न केवल इस संबंध में की जा

Scanned with CamScanner

प्राप्त हो सकेगी तथा मेडिकल कालेजों की अवस्थापना सुविधाओं एवं मैनपावर का भी सदुपयोग हो सकेगा।

6— चूंकि निजी मेडिकल कालेज की अध्यपेक्षा जिलाधिकारियों द्वारा की गयी है अतएव निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित डेडिकेटेड कोविड—19 चिकित्सालय में विशिष्ट दरों पर कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की भर्ती व इलाज की अनुमति संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

7— अतः इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित डेडिकेटेड कोविड—19 चिकित्सालयों के प्राइवेट कक्ष में विशिष्ट दरों पर कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों का इलाज किये जाने की व्यवस्था अग्रेतर प्रस्तरों में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

8— प्राइवेट कक्ष हेतु दरों का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है—

Hospital rates for per day of admission (in Rs.)			
Category of hospitals	Moderate Sickness	Severe Sickness	Very Severe Sickness
	ISOLATION BEDS Including supportive care and oxygen	ICU without need for ventilator care	ICU with ventilator care (invasive/non-invasive
NABH accredited Hospitals (including entry level)	8,500/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	12,750/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	15,300/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)
Non-NABH accredited Hospitals	6,800/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	11,050/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	12,750/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)

Remarks

1. The Package Rates would be all inclusive and would include, but not confined to, the following: Bed, food, amenities, doctors' consults/visits, nursing care, other manpower, consumables, monitoring, investigations including imaging, all treatment including oxygen, blood transfusion, supportive care, physiotherapy, etc.
2. The Package will include medical management of underlying co-morbid conditions such as hypertension, diabetes, cardiovascular illness, choronic pulmonary/kdiney/hepatic disease etc. This would include emergency management procedures such as acute haemodialysis etc if required
3. Non-invasive ventilation such as HFNC, BiPAP etc
4. The same rates will also apply to pediatric patients.
5. For pregnant women, costs for delivery (normal/C-section) and care of new born would be charged extra as per prevailing PMJAY rates
6. The rates do not include costs for RT-PCR or IL-6 assay. They also do not include the experimental therapies (such as Remdesivir etc)

उक्त दरें 'ए' ग्रेड के शहरों में संचालित मेडिकल कालेजों के लिए अनुमन्य होंगी। 'बी' ग्रेड शहरों में संचालित मेडिकल कालेजों के लिए उक्त दरों के सापेक्ष 80

Scanned with CamScanner

प्रतिशत की दरें अनुमन्य होंगी। 'सी' ग्रेड शहरों में संचालित मेडिकल कालेजों के लिए उक्त दरों के सापेक्ष 60 प्रतिशत की दरें अनुमन्य होंगी।

9- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित कोविड-19 चिकित्सालयों के रिक्त कक्षों/प्राइवेट वार्ड में उक्त विशिष्ट दरों पर इलाज की अस्थायी अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी:-

(i) जिलाधिकारी द्वारा विशिष्ट दरो पर कोविड-19 रोगियों की भर्ती व इलाज की अनुमति दिये जाने के पूर्व जिले मे कोविड-19 रोगियों की संख्या, संक्रमण की दर तथा कोविड-19 चिकित्सालयों में बेड्स, मैनपावर तथा अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता का ध्यान रखा जायेगा।

(ii) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज के अध्यपेक्षित डेडिकेटेड कोविड-19 चिकित्सालयों मे विशिष्ट दरों पर इलाज की सुविधा राज्य स्तरीय कोरोना बेड्स के लक्ष्य 10010 के सापेक्ष निर्धारित संस्थागत बेड्स के अधिकतम 10 प्रतिशत कमरों के लिए अनुमन्य होगी। उदाहरणार्थ यदि मेडिकल कालेज में 400 डेडिकेटेड कोविड बेड्स निर्धारित हैं तो अधिकतम 40 बेड्स प्राइवेट वार्ड में विशिष्ट दरों पर इलाज की अनुमति प्रदान की जायेगी। उल्लेखनीय है कि विशिष्ट दरो पर इलाज के बेड्स/प्राइवेट वार्ड पूर्व निर्धारित डेडिकेटेड कोरोना बेड्स के अतिरिक्त होंगे।

(iii) अध्यपेक्षित डेडिकेटेड कोविड-19 चिकित्सालयों में जनरल वार्ड की व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी तथा उसमें भर्ती होने वाले रोगियों को चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा सुविधा पूर्ववत् उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

(iv) संबंधित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज द्वारा विशिष्ट दरों पर इलाज हेतु प्राइवेट वार्ड के लिए पृथक से मेडिकल टीम का गठन किया जायेगा। इस प्रकार जनरल वार्ड तथा प्राइवेट वार्ड के लिए पृथक-पृथक मेडिकल टीमें होंगी। जनरल वार्ड में तैनात प्रोफेसर तथा एसोसिएट प्रोफेसर की तैनाती पूर्ववत् की जाती रहेगी। 10010 बेड्स के सापेक्ष संस्थाओं के लिए निर्धारित बेड्स के सन्दर्भ में उपलब्ध मैनपावर की सूची संस्थाओं द्वारा शासन से नामित विशेष कार्याधिकारी तथा जिलाधिकारियों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेंगी।

(v) अध्यपेक्षित डेडिकेटेड कोविड-19 चिकित्सालयों द्वारा प्राइवेट वार्ड हेतु निर्धारित दरों के उल्लघंन किये जाने अथवा जनरल वार्ड में पूर्व निर्धारित/दिये जा रहे सुविधाओं में किसी प्रकार की कटौती किये जाने की दशा में रू0 1.00 लाख का अर्थदण्ड तथा ली गयी अधिक धनराशि की वसूली संबंधित चिकित्सालय से जिलाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

(vi) दोनों व्यवस्थाओं में कोविड-19 के उपचार से संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(vii) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या की सूचना शासन द्वारा नामित विशेष कार्याधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित डिप्टी सी0एम0ओ0/ए0सी0एम0ओ0 को उपलब्ध करायी जाएगी।

(viii) उक्त व्यवस्था पर्णतः अस्थायी व्यवस्था है अतः संस्थाओं द्वारा किसी मानक

Scanned with CamScanner

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकती है।

(ix) यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक कोविड–19 से संक्रमित भर्ती रोगियों की संख्या शासन द्वारा निर्धारित 10010 बेड्स की संख्या के सापेक्ष उस मेडिकल कालेज के लक्ष्य से कम है। रोगियों की संख्या में वृद्धि होने की दशा में उक्त व्यवस्था समाप्त की जा सकेगी।

(x) जिलाधिकारी द्वारा उक्त व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा इस व्यवस्था को लागू किये जाने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई का निराकरण किया जायेगा।

(xi) शासन द्वारा नामित विशेष कार्याधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित डिप्टी सी0एम0ओ0/ए0सी0एम0ओ0 स्तर के नोडल आफिसर द्वारा भी उक्त व्यवस्थाओं का अनुपालन एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–917/71–4–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रबन्धक, समस्त निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner